न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 110/2014

भागवंती पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 1 के.एम.(ए) तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. हरनामसिंह पुत्र धोंकलुराम हाल निवासी 1 के.एम. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 07.10.2014

उपस्थितिः—

श्री हेतराम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुशील कुमार गोदारा अभिभाषक रेस्पों.
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण हरनामसिंह आदि ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के तहत पेश कर चक 1 के.एम.(ए) के मु.नं. 40 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21, मु. नं. 34 के कि.नं. 21 से 25, मु.नं. 36 के कि.नं. 21 से 25, मु.नं. 37 के कि.नं. 21 से 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया। उक्त प्रा.पत्र का जबाब अप्रार्थी सं. 4 से 6 ने पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 07.10.2014 को प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चक 1 के.एम.(ए) के मु.नं. 149/12 जो पोंग बांध विस्थापित आराजी राज है के कि.नं. 21 से 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

18/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय कर रखी है। मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रा. पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता रकबा राज भूमि में से स्वीकृत किया गया है। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, वह पोंग बांध विस्थापितों के लिए आरक्षित होकर आराजी राज है। ऐसी स्थिति में आराजी राज में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध अपीलांट को अपील पेश करने का कोई Locus-standai नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर।)